न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया P 958-I-17

1– अमित कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह यादव
2– सुमित कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह यादव
निवासीगण – ग्राम बेरछ तहसील भाण्डेर जिला – दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

संतोष पुत्र श्री गिरवर सिंह सेंगर
निवासी – ठकुरास मोहल्ला भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत बडेरा सोपान तहसील भाण्डेर जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ–6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, विवादित भूमि स्थित मौजा बागपुरा के आराजी सर्वे क्रमांक 834 रकवा 0.720 है0 आरे के भूमि स्वामी अरविन्द कुमार पुत्र अनिल कुमार लोधी निवासी ग्राम बागपुरा तहसील भाण्डेर जिला दतिया से उनके द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की उपरोक्त भूमि का विक्रय आवेदकगण के हित में दिनांक 05.04.2006 को सम्पादित कराया गया था।
2. यहकि, आवेदकगण द्वारा उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र क्रमांक 32/05–06/अ–6 प्रस्तुत किया गया था। जो तहसील न्यायालय में विचाराधीन रहा। इसी बीच अनावेदक द्वारा एक निगरानी आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 72/2010–11 कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। किन्तु उपरोक्त आवेदन पत्र का कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया।
3. यहकि, भूमि स्वामी द्वारा भूमि का विक्रय किये जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि का कब्जा विक्रय पत्र दिनांक से ही आवेदकगण को दे दिया गया था। और उनके द्वारा

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(11)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग./958/I/17 (दतिया)

अमित कुमार विरूद्ध सन्तोष.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
16-02-18	आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अभि.उप.। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए गये जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विस्तृत विवेचना कर विवेचना को दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति कमें विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वहीं विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	